18 सितंबर, 2014 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 63वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 63.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) चोक्कनहल्ली गांव, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 30 अक्टूबर 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2014 तक थी।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) परियोजना के चरण 1 के अंग के रूप में 5.6 लाख वर्गफीट के भवन 1 का निर्माण पूरा हो गया है तथा ग्लेजिंग का कार्य सहित यूटिलिटी भवन तथा अन्य फिनिश कार्य प्रगति पर है। वे अपने चरण 2 का निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया में हैं।

(ii) विकासक को चरण 1 के तहत अगस्त 2014 तक 0.60 मिलियन वर्गफीट के क्षेत्रफल का निर्माण पूरा होने तथा अधिसूचना की तिथि से 5 साल की निर्धारित समय सीमा के अंदर न्यूनतम निर्मित क्षेत्र में से 50 प्रतिशत का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है।

(iii) शुरुआत से अब तक परियोजना में 127.42 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है तथा अगस्त 2014 तक 13.58 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव किया गया है।

(iv) विकासक ने अपनी संपूर्ण परियोजना में 916.50 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव किया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) एराममम गांव, कन्नूर जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 सितंबर, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल स्टेट आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 19 सितंबर, 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 18 सितंबर, 2014 तक थी।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) **वास्तुकार द्वारा मास्टर प्लान का प्रस्ताव तैयार किया गया है**
(ii) **विद्युत की आपूर्ति के लिए 73 लाख रुपए का निवेश किया गया है।**
(iii) **2011 में एसईजेड के संपूर्ण क्षेत्र की फेंसिंग की गई तथा अब चारदीवारी एवं संपर्क सड़क के निर्माण के लिए संविदा जारी की गई है। अनुमानित लागत 2.34 करोड़ रुपए है।**
(iv) **सड़क सुधार के लिए पीडब्ल्यूडी के पास 14 लाख रुपए जमा किए गए हैं।**
(v) **विभिन्न श्रेणियों में पीएमसी सहित पैनल में शामिल वास्तुकारों की सूची तैयार है।**
(vi) **पहले आईटी भवन के लिए पैनल में शामिल वास्तुकारों से आरएफपी जारी की गई तथा एक माह के अंदर चयन किया जाएगा।**
(vii) **केरल राज्य सरकार की योजनागत निधि तथा नाबार्ड की निधि उपलब्ध हैं।**
(viii) **50000 वर्गफीट के पहले आईटी भवन के निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है तथा कार्य सौंपे जाने के एक साल के अंदर पूर्ण होने की उम्मीद है।**
(ix) **विकासक ने अगस्त 2016 तक एसईजेड के चरण 1 का कार्यान्वयन पूर्ण करने का प्रस्ताव किया है।**

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम चीमेनी, कासरगोड जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 सितंबर, 2014 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल स्टेट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 19 सितंबर, 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 18 सितंबर, 2014 तक थी।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) **वास्तुकार द्वारा मास्टर प्लान का प्रस्ताव तैयार किया गया है**
(ii) **संपूर्ण क्षेत्र के लिए फेंसिंग का कार्य किया गया है**

(iii) चारदीवारी तथा संपर्क सड़क के निर्माण के लिए ठेकेदार का चयन किया गया है। अनुमानित लागत 3.5 करोड़ रुपए है।

(iv) भूमि में 25 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है।

(v) विभिन्न श्रेणियों में पीएमसी सहित पैनल में शामिल वास्तुकारों की सूची।

(vi) राज्य की योजना निधि तथा नाबार्ड सहायता के माध्यम से अवसंरचना निधि उपलब्ध है।

(vii) पहले आईटी भवन के लिए पैनल में शामिल वास्तुकारों से आरएफपी जारी की गई तथा एक माह के अंदर चयन किया जाएगा।

(viii) 50000 वर्गफीट के पहले आईटी भवन के निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है तथा कार्य सौंपे जाने के एक साल के अंदर पूर्ण होने की उम्मीद है।

(ix) विकासक ने अगस्त 2016 तक एसईजेड के चरण 1 का कार्यान्वयन पूर्ण करने का प्रस्ताव किया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 जून, 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता 26 जून, 2014 को समाप्त हो गई।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) एसईजेड में विद्युत अवसंरचना का कार्य पूर्णत: समाप्त हो चुका है

(ii) सड़क निर्माण का 94.35 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है तथा शेष 5.65 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है

(iii) 2.27 प्रतिशत जिसके शीघ्र पूर्ण होने की उम्मीद है, को छोड़कर चारदीवारी का निर्माण लगभग पूरा हो गया है।

(iv) जलापूर्ति का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है तथा शेष 10 प्रतिशत कार्य तेजी से चल रहा है।

(v) मई 2014 तक विकास कार्य पर 28.13 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(vi) सह विकासक ने आईटी पार्क भवन के 6 फ्लोर का निर्माण पूरा कर लिया है। शेष कार्य अगस्त, 2014 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) गंगैकोंडन गांव, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 8 मई, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 जुलाई 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को चार विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 8 मई, 2014 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) 100 एकड़ के लिए सामान्य अवसंरचना कार्य जैसे कि सड़क, चारदीवारी, पुलिया, स्टार्म वाटर ड्रेनेज, डाटा केबल डक्ट, इलेक्ट्रिकल केबल डक्ट, एसटीपी तथा स्ट्रीट लाइट का कार्य पूरा हो गया है।

(ii) 50000 वर्गफीट के आईटी भवन का निर्माण पूरा हो गया है।

(iii) वाटर संप, वाटर पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है। 190 एकड़ के विस्तारित अंश के लिए बुनियादी अवसंरचना का विकास किया जा रहा है।

(iv) मेसर्स सिंटेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को 100 एकड़ भूमि आवंटित की गई तथा उन्होंने 27 दिसंबर 2011 को सह विकासक का दर्जा प्राप्त किया है तथा अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

(v) मैसर्स कोम्पोस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक यूनिट को 50000 वर्गफीट के आईटी भवन में 9308 वर्गफीट का निर्मित क्षेत्र आवंटित किया गया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) बड़ापलांजी गांव, मदुरै, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 8 मई, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 जुलाई 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को चार विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 8 मई, 2014 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) विकासक ने 245.17 एकड़ भूमि के लिए एसईजेड अनुमोदन प्राप्त किया है जिसमें सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।

(ii) 18.75 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए ड्राइंग अनुमोदन के लिए सरकार को भेजी गई है।

(iii) सामान्य अवसंरचना कार्य जैसे कि सड़क, चारदीवारी, पुलिया, स्टार्म वाटर ड्रेनेज, डाटा केबल डक्ट, इलेक्ट्रिकल केबल डक्ट, एसटीपी तथा स्ट्रीट लाइट का कार्य पूरा हो गया है।

(iv) 50000 वर्गफीट के आईटी भवन के निर्माण के लिए निविदा प्रोसेस की जा रही है, जो चुनाव आचार संहिता के कारण विलंबित हुई।

(v) वाटर संप, वाटर पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है।

(vi) उद्योग में मंदी के कारण एसईजेड में कार्य विलंबित हुआ। प्रमुख आईटी कंपनियों जिन्होंने रुचि प्रदर्शित की है, ने टियर 2 शहरों में अपने विस्तार की योजनाओं को वापस ले लिया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) सलेम, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 07 मई, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 जुलाई 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को चार विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 7 मई, 2014 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) सामान्य अवसंरचना कार्य जैसे कि आंतरिक सड़क, सर्विस डक्ट एवं ड्रेन, इंट्रेंस आर्च एवं मेन गेट, चारदीवारी का निर्माण पूर्ण होने के कगार पर है तथा ओवरहेड टैंक का चालू होना सहित अन्य कार्य भी चल रहे हैं।

(ii) जुलाई 2013 से मई 2014 के दौरान विकास कार्य पर 2.06 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

(iii) दो यूनिटों को भूमि आवंटित की गई।

(iv) 50000 वर्गफीट के आईटी भवन के निर्माण के लिए निविदा प्रोसेस की जा रही है। 31 मार्च 2016 तक भवन का निर्माण पूरा हो जाएगा।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) ग्राम रहाका एवं निमोठ, जिला गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जुलाई, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 14 जुलाई 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 13 जुलाई, 2014 तक है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) विकासक ने जुलाई 2013 से अब तक 28.82 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

(ii) एकीकृत एसटीपी / ईटीपी सिस्टम इंस्टाल किया गया है तथा चालू होने के लिए तैयार है

(iii) ग्लेजिंग का कार्य पूरा हो गया है।

(iv) रिचार्ज पिट का निर्माण पूरा हो गया है।

(v) 11 लिफ्टों के इंस्टालेशन का कार्य पूरा हो गया है तथा शीघ्र ही ये क्रियाशील हो जाएंगी।

(vi) बायो पोर्ट बिल्डिंग के चारों ओर लैंडस्केपिंग का कार्य फिनिशिंग के चरण पर है।

(vii) सामान्य क्षेत्रों का इंटीरियर वर्क प्रगति पर है।

(viii) एसईजेड में निर्मित बायो पोर्ट बिल्डिंग अधिभोग के लिए तैयार है तथा विकासक ने उक्त भवन के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है। विकासक पट्टा पर बायो पोर्ट बिल्डिंग में स्पेस लेने तथा जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित यूनिटें स्थापित करने के लिए पट्टा पर भूमि लेने के लिए कुछ ग्राहकों के साथ वार्ता के उन्नत चरण पर है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ix) प्लाट नंबर टीजेड 07, सेक्टर आईटी पार्क, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 मार्च, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स उप्पल आईटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 17 मार्च 2008 को प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 16 मार्च, 2014 को समाप्त हो गई है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) पर्यावरणीय स्वीकृति 20 अप्रैल 2009 को जारी की गई है।

(ii) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से एनओसी 14 जनवरी 2009 को प्राप्त हो गया है।

(iii) रक्षा मंत्रालय से एनओसी 24 जुलाई 2009 को प्राप्त हो गया है।

(iv) विकासक ने 31 जनवरी 2014 तक भूमि की लागत सहित 86.40 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

(v) जीएनआईडीए को विस्तृत भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि इस मामले में मैसर्स उप्पल आईटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि की मौजूदगी में इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा साइट का निरीक्षण किया गया है जिसके दौरान देखा गया कि प्रस्तावित एसईजेड भूमि का प्रयोग इस समय किसानों द्वारा खेती के लिए किया जा रहा है। विकासक ने एसईजेड भूमि के कुछ भाग (लगभग 800 मीटर) के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण किया है। विकासक ने अस्थायी साइट कार्यालय का निर्माण किया है। चारदीवारी के निर्माण में शामिल मजदूर अस्थायी झोपड़ियों में रह रहे हैं। एसईजेड भूमि को इंटरसेक्ट करने वाली डामर की सड़क पाई गई। विकासक ने सूचित किया है कि ग्रामीण गांव से मंदिर जो समीपवर्ती प्लाट के निकट मौजूद है, जाने के लिए उक्त सड़क का प्रयोग कर रहे हैं।

चूंकि विकासक ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाया है इसलिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(x) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 14 नवंबर, 2006 के माध्यम से विकासक को उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को अब तक पांच बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 13 नवंबर, 2014 तक वैध थी।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) 6 जून 2014 को खनन एवं भू-विज्ञान विभाग से खनन के लिए अनुमति प्राप्त की गई है।
(ii) प्रशासनिक ब्लाक तथा ब्लाक 1ए की नींव की खुदाई का कार्य 7 जून 2014 से चल रहा है।
(iii) 25.12123 हेक्टेयर के लिए पूर्ण जीआई फेंसिंग की गई है
(iv) 31 जुलाई 2014 को आयोजित परियोजना मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर एसईजेड की राज्य अधिसूचना 14 अगस्त 2014 को जारी की गई।
(v) विकासक ने भूमि की लागत सहित अब तक 172.22 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

विकास आयुक्त,एनएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xi) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-ए के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 25 अक्टूबर, 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के 4 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 22 अक्टूबर, 2014 तक है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि पर 16.43 करोड़ रुपए का निवेश
(ii) अवसंरचना के विकास पर निवेश 73.67 करोड़ रुपए
(iii) 1.95 किलोमीटर की चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है
(iv) 1854 मीटर की आंतरिक सड़क का कार्य पूरा हो गया है
(v) 2919 मीटर के स्टार्म वाटर ड्रेन का कार्य पूरा हो गया है

(vi) 993 मीटर के लिए आंतरिक वाटर लाइन बिछाई गई है

(vii) 1047 मीटर के लिए आईटी डक्ट का निर्माण किया गया है

(viii) 1.95 लाख वर्गफीट के आईटी / आईटीईएस भवन के सुपर निर्मित क्षेत्र का निर्माण पूरा हो गया है

(ix) एसईजेड विकसित हो गया है तथा संभावित यूनिटों के लिए परिसर तैयार हैं

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 25 अक्टूबर, 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के 4 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2014 तक है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि पर 29.76 करोड़ रुपए का निवेश

(ii) अवसंरचना के विकास पर निवेश 122.44 करोड़ रुपए

(iii) 3.28 किलोमीटर की चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है।

(iv) 2435 मीटर की आंतरिक सड़क का कार्य पूरा हो गया है

(v) 2611 मीटर के स्टार्म वाटर ड्रेन का कार्य पूरा हो गया है

(vi) 1112 मीटर के लिए आंतरिक वाटर लाइन बिछाई गई है

(vii) 1097 मीटर के लिए आईटी डक्ट का निर्माण किया गया है

(viii) वाटर चैनल पर पुल का निर्माण अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों साइडों के लिए स्लैब तक पूरा हो गया है।

(ix) 1.95 लाख वर्गफीट के आईटी / आईटीईएस भवन के सुपर निर्मित क्षेत्र का निर्माण पूरा हो गया है

(x) एसईजेड विकसित हो गया है तथा संभावित यूनिटों के लिए परिसर तैयार हैं

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xiii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-सी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 नवंबर, 2014 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 21 नवंबर, 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के 4 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 21 नवंबर, 2014 तक है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि पर 8.37 करोड़ रुपए का निवेश
(ii) अवसंरचना के विकास पर निवेश 33.84 करोड़ रुपए
(iii) 1.40 किलोमीटर की चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है।
(iv) 750 मीटर की आंतरिक सड़क का कार्य पूरा हो गया है
(v) 804 मीटर के स्टार्म वाटर ड्रेन का कार्य पूरा हो गया है
(vi) 869 मीटर के लिए आंतरिक वाटर लाइन बिछाई गई है
(vii) 842 मीटर के लिए आईटी डक्ट का निर्माण किया गया है
(viii) 70 मीटर में यूटिलिटी क्रासिंग पाइप बिछाई गई है
(ix) एसईजेड विकसित हो गया है तथा संभावित यूनिटों के लिए परिसर तैयार हैं

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 63.2 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) सौरार तहसील, छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

2000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकासक को 30 जुलाई, 2007 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद 22 सितंबर, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित क्षेत्रफल में 1487.076 हेक्टेयर की वृद्धि करके करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 3487.076 हेक्टेयर हो गया। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 29 जुलाई, 2011 तक वैध थी।

चौथी और पांचवीं बार वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर 14 सितंबर 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 54वीं बैठक में विचार किया गया जिसमें बोर्ड ने यह पाया कि विकासक 1898 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर चुका है जो एसईजेड स्थापित करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि से अधिक है। अनुमोदन बोर्ड ने मामले को स्थगित कर दिया तथा मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व अब तक अधिग्रहीत की गई भूमि की सन्निकटता पर विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड से रिपोर्ट प्रदान करने के लिए निवेदन किया।

इसके बाद विकास आयुक्त, आईएसईजेड ने भूमि के स्टेटस के संबंध में विकासक के साथ लंबा पत्राचार किया था। अंत में विकासक ने पत्र दिनांक 10 जून 2014 के माध्यम से भूमि के स्टेटस के बारे में सूचना प्रदान की। इसके बाद विकास आयुक्त द्वारा एसईजेड का साइट निरीक्षण किया गया तथा विकासक को भूमि के

अधिग्रहण के संबंध में समय सीमा के बारे में सूचित करने की सलाह दी गई। विकासक ने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2014 के माध्यम से निम्नलिखित सूचना प्रदान की है :

(i) सड़क से संबंधित 18.865 हेक्टेयर भूमि को 15 अक्टूबर 2014 तक कब्जा में दर्शाया गया।
(ii) अधिग्रहण (खंड 9) के तहत भूमि स्वामी भूमि के 430 हेक्टेयर को 30 नवंबर 2014 तक कब्जा में दर्शाया गया।
(iii) 40 हेक्टेयर की राजस्व वन भूमि को 30 अप्रैल 2015 तक कब्जा में दर्शाया गया।
(iv) अधिग्रहण (खंड 7) के तहत भूमि स्वामी भूमि के 207.584 हेक्टेयर को 30 सितंबर 2015 तक कब्जा में दर्शाया गया।

विकासक ने शेष भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन की तिथि से एक साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने अनुमोदन की तिथि से एक साल तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 63.3 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 30 सितंबर, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अडानी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड जो मुंद्रा, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड एसईजेड द्वारा विकसित बहुत उत्पाद्र एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

कॉटन पैड के रोल्ड गुड्स, वाइप के रोल्ड गुड्स तथा 100 जीएसएम के रोल्ड गुड्स के निर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 28 मार्च 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 30 सितंबर, 2014 तक है।

यूनिट ने एक साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए पुन: अनुरोध किया है क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय ने विकासक के पक्ष में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किए जाने तक कोई विकास कार्य न करने का आदेश दिया गया है। इसलिए परियोजना पूरी नहीं हो सकी।

विकास आयुक्त, एपीएसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) 15 अगस्त 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो भडूच, गुजरात में दाहेज द्वारा विकसित बहु उत्पाद्र एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 16 अगस्त, 2007 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट को 6 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 15 अगस्त, 2014 तक है।

यूनिट ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विभिन्न कारण एवं औचित्य प्रदान करके मार्च 2017 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है जिसमें प्लांट के न्यूनतम आकार में संशोधन जिसकी वजह से पूंजी लागत

500 करोड़ रुपए से बढ़कर 750 करोड़ रुपए हो गई है, आर्थिक मंदी, सरकार द्वारा मैट लगाया जाना तथा रणनीतिक साझेदार पर निर्णय शामिल हैं।

यूनिट ने परियोजना पर 361.59 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

विकास आयुक्त,एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) 31 अगस्त 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एयर इंडिया लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एयरक्राफ्ट के अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहालिंग (एमआरओ) तथा सहायक सेवाओं के लिए उपर्युक्त यूनिट को 1 सितंबर 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 31 अगस्त, 2014 तक है।

यूनिट ने परियोजना में अब तक 426 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने एमआरओ का 94 प्रतिशत तथा इंजन एमआरओ का 33 प्रतिशत निर्माण पूरा कर लिया है। यूनिट सितंबर 2014 तक एमआरओ सुविधा का संपूर्ण निर्माण पूर्ण हो जाने की उम्मीद कर रही है। जहां तक इंजन जांच सुविधा का संबंध है, साइट पर फाउंडेशन वर्क, अंतिम ड्राइंग तथा तैयारी कार्य पूरे हो गए हैं और प्लिंथ बीम एवं टाई बीम का कार्य प्रगति पर है। यहां तक इंजन ओवरहाल वर्कशाप का संबंध है, साइट की पहचान कर ली गई है तथा परियोजना प्रबंध परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) 16 दिसंबर 2013 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कुरा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो एपीआईआईसी एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एपीआईआईसी एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कुरा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को 17 दिसंबर, 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 4 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 16 दिसंबर, 2013 तक है।

यूनिट ने 16 दिसंबर, 2013 के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने बताया है कि उन्होंने 9 करोड़ रुपए के निवेश से सिविल कार्य पूरा कर लिया है तथा एक लाख वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र का निर्माण कर लिया है। यूनिट अक्टूबर / नवंबर 2014 तक अपना प्रचालन शुरू करने की उम्मीद कर रही है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने 16 दिसंबर 2014 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(v) 22 जुलाई 2013 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एसीएन इनफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो हिल नंबर 2, मधुरवाड़ा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एपीआईआईसी द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए उपर्युक्त यूनिट को 22 जुलाई, 2009 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 22 जुलाई, 2013 तक थी।

यूनिट ने 21 जनवरी, 2015 तक एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने बताया है कि विभिन्न मुद्दों जैसे कि बिजली, पानी, परिवहन, आईटी क्षेत्र में मंदी, बैंक वित्त पोषण आदि के कारण वे उत्पादन शुरू नहीं कर सके। यूनिट ने अब तक 8 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यूनिट अक्टूबर 2014 से प्रचालन शुरू होने की उम्मीद कर रही है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सिफारिश की है कि परियोजना को लागू करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए 21 जनवरी 2015 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vi) 4 मार्च, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कलर चिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड जो मधुरवाड़ा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में एपीआईआईसी आईटी एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

साफ्टवेयर इनेबल्ड सेवा विकास के प्रचालन के लिए उपर्युक्त यूनिट को 5 मार्च, 2009 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 4 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 4 मार्च, 2014 तक है।

यूनिट ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

यूनिट ने अब तक 7 करोड़ रुपए के निवेश से सिविल कार्य पूरा कर लिया है तथा 40000 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र का निर्माण कर लिया है। यूनिट ने भवन के 4 फ्लोर का निर्माण कर लिया है तथा प्रत्येक फ्लोर का क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट है और शेष सिविल कार्य शीघ्र पूरे हो जाएंगे। यूनिट 6 माह के अंदर परियोजना के लागू हो जाने की उम्मीद कर रही है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सिफारिश की है कि परियोजना को लागू करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vii) 28 सितंबर, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स शांता बायोटेक्नीक्स लिमिटेड जो मुप्पीरेड्डीपल्ली गांव, तूपरन मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स बायोटेक्नीक्स लिमिटेड के एसईजेड में यूनिट 1 है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 29 सितंबर, 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 28 सितंबर, 2014 तक है।

यूनिट ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

यूनिट ने निर्माण की सभी गतिविधियां पूरी कर ली है। सिविल निर्माण 100 प्रतिशत पूरा हो गया है। प्लांट एवं मशीनरी के इंस्टालेशन तथा मेकेनिकल कमिशनिंग का कार्य पूरा हो गया है। उपकरणों तथा सुविधा की अर्हताओं के 30 सितंबर 2014 तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। यूनिट 30 नवंबर 2015 तक विनिर्माण और 31 दिसंबर 2015 तक वाणिज्यीकरण के लिए तैयार हो जाने की उम्मीद कर रही है। यूनिट ने 30 जून, 2014 तक 72.35 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 63.4 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) वल्लनचेरी गांव, गुडुवनचेरी, चेंगलपट्टू तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स एस्टानिका आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टीएंडवी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

11.09 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स टीएंडवी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने 5.27 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 22 अगस्त, 2014 उपलब्ध कराया गया है। पट्टा विलेख दिनांक 22 अगस्त, 2014 भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 30 साल है। देय पट्टा प्रीमियम 3 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) प्लॉट नंबर 21, टेक जोन-4, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स अर्थ इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर सहित आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एलीफैंट डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10.006754 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स एलीफैंट डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 4428 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में प्रसंस्करण क्षेत्र बेसमेंट सहित लगभग 30600 वर्गमीटर के सुपर एरिया के एक टावर के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 22 जुलाई, 2014 उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 90 साल है। एकबारगी पट्टा प्रीमियम 4.80 करोड़ रुपए है जिसमें से 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है तथा 4.70 करोड़ रुपए की शेष राशि का

भुगतान पट्टा विलेख के निष्पादन के समय किया जाएगा। इसके अलावा सह विकासक पट्टा अवधि के दौरान 10 **लाख रुपए प्रतिवर्ष के वार्षिक पट्टा किराए का भुगतान करेगा।**

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम पोन्नाडा, मुलापेटा और रामनक्कापेटा, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ईस्ट गोदावरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

1013.64 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।**

मैसर्स ईस्ट गोदावरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 1013.64 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में निम्नलिखित प्रचालनों के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :**

(i) **उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन सहित विद्युत वितरण नेटवर्क, पाइप लाइन नेटवर्क, पावर बैकअप की सुविधाएं आदि।**

(ii) **विद्युत के वितरण के लिए अपेक्षित अवसंरचना सुविधाओं एवं उपकरणों का प्रापण एवं स्थापना।**

(iii) **विद्युत वितरण का कार्य करने के लिए अधिप्राप्त एवं स्थापित की गई अवसंरचना सुविधाओं एवं उपकरणों का प्रचालन एवं अनुरक्षण करना।**

(iv) **विद्युत वितरण का कार्य करना।**

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 17 **जुलाई,** 2014 **उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि** 25 **साल है। देय पट्टा प्रीमियम** 10 **रुपए प्रति एकड़ प्रतिमाह है। इसके अलावा** 6 **माह के पट्टा किराया के बराबर अप्रतिदेय, ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा जो करार की समाप्ति पर किराया में समायोजित किया जाएगा तथा** 8 **लाख रुपए की भूमि विकास राशि देय है।**

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 63.5 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स मुंबई फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक जोन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स क्विप्पो इनफ्रास्ट्रक्चर	ग्राम शाहबाज एवं देहेनकोनी, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	(i) जैव प्रौद्योगिकी एवं (ii) आईटी / आईटीईएस (3डी एनिमेशन, ई-	24.04 (बायोटेक) 10.47 (आईटी / आईटीईएस)	हां	हां (27 अगस्त, 2014)	सैद्धांतिक अनुमोदन का औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तन

	इक्विपमेंट लिमिटेड)		लर्निंग, विजुअल इफेक्ट तथा संबद्ध सेवाओं आदि सहित)#				

इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को 15 नवंबर 2006 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था जो 15 सितंबर 2013 को समाप्त हो गया है। अब विकासक ने दो नए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अर्थात बायोटेक एवं आईटी / आईटीईएस एसईजेड का निर्माण करके सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने इसके लिए दो अलग अलग आवेदन प्रस्तुत किए हैं। विकासक ने एसईजेड का नाम मुंबई फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक जोन लिमिटेड से बदलकर मैसर्स एट्टिवो इकोनॉमिक जोन (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए भी अनुरोध किया है।

*राज्य सरकार ने सक्षम प्राधिकारी से इस बात की पुष्टि के अधीन कि उक्त भूमि वन के लिए आरक्षित नहीं है, प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
(ii)	मैसर्स विप्रो लिमिटेड	रेसापुवानीपालेम गांव, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	1.22	हां	हां (12 अगस्त, 2014)	नया

*राज्य सरकार ने कंपनी द्वारा किए गए वायदे के अनुसार 6400 नए रोजगार के सृजन तथा कार्यान्वयन के लिए समय सीमा का उल्लेख करते हुए उपयुक्त ढंग से सरकार के साथ एमओयू के नवीकरण के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
(iii)	मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड	मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात	बहु उत्पाद	1856.5335	हां	हां	*

	(एपीएसईजेडएल)						

***विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के प्रस्ताव पर** 30 **अगस्त** 2013 **को आयोजित एसईजेड पर अनुमोदन बोर्ड की 59वीं बैठक में विचार किया गया तथा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :**

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। गुजरात सरकार ने भी अनुमोदन प्रदान करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, विकास आयुक्त, केएएसईजेड / एपीएसईजेड ने प्रस्तावित एसईजेड के लिए स्वतंत्र प्रवेश मार्ग आदि से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए हैं। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि गृह मंत्रालय ने अभी तक अपनी टिप्पणियां प्रदान नहीं की है तथा कहा कि अगले 30 **दिन के अंदर टिप्पणियां भेजी जाएं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने** 1856.5335 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल) के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व अनुमोदन बोर्ड ने वाणिज्य विभाग को बकाया मुद्दों की जांच करने तथा अनुमोदन बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति गठित करने का निदेश दिया।"**

अनुमोदन बोर्ड के उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में विकास आयुक्त, केएएसईजेड की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया तथा उसे वाणिज्य विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। चूंकि समिति की रिपोर्ट दिनांक 15 **अक्टूबर** 2013 **में कोई स्पष्ट अनुशंसा नहीं है इसलिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड से समिति की स्पष्ट अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। अब समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं (कार्यवृत्त दिनांक** 22 **नवंबर** 2013)**। समिति ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन अडानी पोर्ट एसईजेड लिमिटेड (एपीएसईजेडएल) के प्रस्तावित नए एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए विकासक का अनुरोध प्रस्तुत करने का निर्णय लिया :**

(i) **विकास आयुक्त, एपीएसईजेडएल तथा सीमा शुल्क आयुक्त, कांडला के परामर्श से मौजूदा एसईजेड का निर्दिष्ट अधिकारी किसी राजस्व रिसाव से बचने के लिए अचूक प्रणाली तैयार करेगा तथा पुष्टि करेगा कि विकासक द्वारा प्रस्तावित तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि सामग्री का विपथन या राजस्व का लीकेज नहीं होगा / न्यूनतम होगा।**

(ii) **विकासक 5 साल की अवधि के अंदर प्रस्तावित फ्लाई ओवर का निर्माण करेगा। इस बीच विकासक को यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए उनके पास आवश्यक भूमि / अनुमति है।**

(iii) **विकासक प्रस्तावित एसईजेड में कोई अन्य कार्य शुरू करने से पूर्व मौजूदा एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के चारों ओर शेष बचे भाग में चारदीवारी का निर्माण पूरा करेगा। चारदीवारी द्वारा क्षेत्र की पूरी सुरक्षा तथा सड़कों / कोरिडोर तथा चारदीवारी के निर्माण के माध्यम से प्रस्तावित एसईजेड के तीन पॉकेटों के बीच समुचित संपर्क की व्यवस्था होने तक किसी भी यूनिट के लिए कोई एलओपी प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।**

(iv) **क्रीक / सी को अवप्रेरित करने वाले क्षेत्र जहां चारदीवारी का निर्माण करना संभव नहीं है, में पर्याप्त सुरक्षा एवं विनियामक जनशक्ति के साथ समर्पित पेट्रोलिंग वेजल द्वारा पर्याप्त सामग्री सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए ताकि अचूक ढंग से क्षेत्र सुरक्षित हो सके।**

(v) **प्रस्तावित एसईजेड का प्रयोग मौजूदा पोर्ट आधारित एसईजेड के विस्तार के रूप में न करके निर्यात यूनिटों एवं गतिविधियों के लिए अकेले एसईजेड के रूप में किया जाना चाहिए। प्रस्तावित एसईजेड**

में संचालित की जाने वाली गतिविधियों या अवसंरचना को पोर्ट से संबंधित सेवाओं के लिए अनुमत नहीं किया जाना चाहिए।

(vi) **कोई वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ करने से पूर्व विकासक द्वारा सीआरजेड का पूर्व अनुमोदन तथा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।**

(vii) **प्रस्तावित एसईजेड से चारों ओर से घिरे भूमि के भू-आबद्ध पाकेट तथा ऐसे स्थानों जहां वर्तमान में एसईजेड से होकर गुजरने के लिए स्थानीय मछुआरों / ग्रामीणों को मार्ग प्रदान किया गया है, पर भी सुरक्षा एवं कस्टम कार्मिक तैनात किए जाएंगे।**

03 **अप्रैल,** 2014 **को आयोजित** 61**वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष समिति की रिपोर्ट रखी गई।** 3 **अप्रैल** 2014 **को आयोजित** 61**वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय को यहां नीचे प्रस्तुत किया गया है:**

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है जो संस्पर्शी एवं खाली पड़ी है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्तावित एसईजेड के लिए स्वतंत्र मार्ग तथा सुरक्षा से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जो विकास आयुक्त, केएएसईजेड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उठाई गई हैं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड को सुगठित प्रश्नावली के माध्यम से समिति के निष्कर्षों पर विकासक की राय प्राप्त करने का निदेश दिया। विकास आयुक्त प्रश्नावली पर विकासक के उत्तर को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसे इसके बाद विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।"

3 **अप्रैल** 2014 **को आयोजित** 61**वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में सुगठित प्रश्नावली पर विकासक का जवाब तथा विकासक के जवाब पर विकास आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त हो गई जिस पर** 24 **जुलाई** 2014 **को आयोजित** 62**वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया गया। बैठक का कार्यवृत्त नीचे प्रस्तुत किया गया है :**

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है जो संस्पर्शी एवं खाली पड़ी है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि उन्होंने प्रस्ताव के लिए अपनी सुरक्षा स्वीकृति प्रदान कर दी है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्तावित एसईजेड के लिए स्वतंत्र मार्ग तथा सुरक्षा से संबंधित कुछ मुद्दे हैं जिन पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 63.6 : विविध मामले

(i) डीटीए में प्रयुक्त कुकिंग ऑयल से तैयार किए गए बायो डीजल की बिक्री के लिए मैसर्स साउदर्न आनलाइन बायोटेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो अच्युतपुरा, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में एपीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स साउदर्न आनलाइन बायोटेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो एपीएसईजेड की यूनिट है, को केवल बायोडीजल के निर्माण तथा उसके निर्यात में प्रयोग के लिए प्रयुक्त कुकिंग ऑयल (प्रतिबंधित मद) के आयात के लिए मंजूरी प्रदान की गई तथा 31 **मई** 2011 **को आयोजित** 46**वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा किसी डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं दी गई।**

अब यूनिट ने प्रयुक्त कुकिंग ऑयल तथा अन्य अपशिष्ट कच्चे माल से तैयार किए गए बायो डीजल की 25 प्रतिशत डीटीए बिक्री के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। यूनिट ने यह भी बताया है कि डीटीए ने बायो डीजल की बिक्री के लिए अनुरोध करने के कारण निम्नलिखित हैं :

(i) **यूरोपीय देशों के बाजार में उतार चढ़ाव से यूनिट का सतत प्रचालन सीधे प्रभावित हो रहा है।**
(ii) **अंतिम उत्पाद बायो डीजल है, प्रयुक्त कच्चा माल जो भी हो और इसलिए कच्चा माल अर्थात प्रयुक्त कुकिंग ऑयल की डीटीए बिक्री करना संभव नहीं है।**
(iii) **डीटीए में बिक्री करने के लिए एसईजेड की विनिर्माण यूनिट को छूट प्रदान करने से नकदी के प्रवाह का सुनिश्चय होगा।**
(iv) **सरकारी एजेंसियां जैसे कि एपीएसआरआईसी केएसआरटीसी तथा आरडीएसओ, लखनऊ से बायो डीजल की मांग बढ़ रही है।**

विकास आयुक्त, आंध्र प्रदेश एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) अच्युतपुरम, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में एपीएसईजेड की सड़क से निर्माण सामग्री के परिवहन की अनुमति प्रदान करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) का अनुरोध

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र एपीआईआईसी के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अच्युतपुरम मंडल, विशाखापट्टनम में प्रदान की गई भूमि पर अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित कर रहा है। भूमि विवाद के कारण उनके मुख्य कैंपस को स्टेट हाइवे से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य धीमे चल रहा है तथा इसके पूरा होने में लगभग 2 साल का समय लग सकता है।

इस बीच बार्क के प्राधिकारियों ने निम्नलिखित प्रचालन प्रक्रिया का विधिवत रूप से पालन करते हुए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए उनके मुख्य कैंपस को जोड़ने वाली एपीएसईजेड की अन्य मौजूदा सड़क का प्रयोग करने का अनुरोध किया है :

(i) **संबंधित प्राधिकारी को लिखित रूप में पूर्व अनुमति प्रदान की जाएगी जिसमें सामग्री एवं समय के ब्यौरे होंगे।**
(ii) **वाहन को उनके अपने कर्मचारियों द्वारा एस्कोर्ट किया जाएगा।**
(iii) **एपीएसईजेड के माध्यम से आने वाले वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए बार्क गेट को बंद रखा जाएगा तथा बार्क के सुरक्षा अधिकारियों के संरक्षण में सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी गार्डिंग की जाएगी। यह गेट केवल सामग्री के परिवहन के दौरान खोला जाएगा।**

विकास आयुक्त, आंध्र प्रदेश एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) 60000 मीट्रिक टन फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स अंजनेय एलॉय लिमिटेड जो अच्युतपुरम, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में एपीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स अंजनेय एलॉय लिमिटेड जो उपर्युक्त एसईजेड की यूनिट है, फेरो मैग्नीज तथा सिलिको मैग्नीज के विनिर्माण के लिए फेरो मैग्नीज स्लैग (प्रतिबंधित मद) का प्रयोग कर रहा है। यूनिट ने 60000 मीट्रिक टन फेरो

मैग्नीज के आयात का प्रस्ताव किया है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली से स्वीकृति के लिए आवेदन किया है।

पहले 6 जुलाई 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 53वीं बैठक में यूनिट द्वारा 40000 मीट्रिक टन फेरो मैग्नीज के आयात के लिए मंजूरी इस शर्त के अधीन प्रदान की गई थी कि कोई डीटीए लेनदेन नहीं होगा तथा विकास आयुक्त इस मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की शर्तों / दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का सुनिश्चय करेगा। सामग्री की समाप्ति के बाद यूनिट ने पुन: अपनी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए 60**000** मीट्रिक टन फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, आंध्र प्रदेश एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) क्षेत्रफल को 11.20 हेक्टेयर से बढ़ाकर 17 हेक्टेयर करके औपचारिक अनुमोदन दिनांक 4 जनवरी 2012 में दिए गए क्षेत्रफल में संशोधन के लिए मैसर्स मणिपाल ईटीए इनफोटेक लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को 11.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 4 जनवरी 2012 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है।

विकासक ने क्षेत्रफल को 11.20 हेक्टेयर से बढ़ाकर 17 हेक्टेयर करके औपचारिक अनुमोदन दिनांक 4 जनवरी 2012 में दिए गए क्षेत्रफल में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि अतिरिक्त क्षेत्रफल खाली पड़ा है, संस्पर्शी है तथा कोई आम रास्ता नहीं है। भूमि पर विकासक का कब्जा है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) कार्यालय स्थान में वृद्धि के लिए सी2 टावर से प्रचालनों को एच2 टावर में शिफ्ट करने के लिए मैसर्स स्टाइलस कामर्सियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स स्टाइलस कामर्सियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 28 सितंबर 2011 को उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में मंजूरी प्रदान की गई। सी2 टावर में लगभग 21696 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र का विकास करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। सह विकासक ने पट्टा करार दिनांक 19 अप्रैल 2011 निष्पादित किया था जो 5 साल के लिए वैध है तथा 5 साल की अगली अवधि के लिए उसकी वैधता बढ़ाई जा सकती है। उपर्युक्त निर्मित क्षेत्र का विकास किया गया तथा चार एसईजेड यूनिटों को उप पट्टा पर दे दिया गया।

सह विकासक ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

(i) विकासक द्वारा निर्मित नए भवन में सह विकासक 37605 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र में व्यवसाय केन्द्र की सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करेगा।
(ii) सह विकासक द्वारा विकसित 21696 वर्गफीट के क्षेत्रफल को विकासक वापस ले लेगा।

(iii) **मौजूदा बिल्डिंग सी2 टावर की सभी यूनिटों को विकासक द्वारा नए निर्मित भवन में शिफ्ट किया जाएगा तथा सह विकासक द्वारा व्यवसाय केन्द्र की सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी।**

5 साल की अवधि के लिए वैध, जिसकी वैधता अवधि अगले 5 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, विकासक और सह विकासक के बीच एच2 टावर में 37605 वर्गफीट के नए निर्मित क्षेत्र के लिए पट्टा करार दिनांक 9 मई 2014 उपलब्ध कराया गया है। विकासक एवं सह विकासक के बीच करार में संशोधन की नोटरीकृत प्रति भी उपलब्ध कराई गई है। सी2 टावर से एच2 टावर में प्रचालनों को शिफ्ट करने के लिए एसईजेड की मौजूदा यूनिटों से एनओसी भी उपलब्ध कराया गया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने "लगभग 21696 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र का विकास करने के स्थान पर 37605 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र में व्यवसाय केन्द्र की सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करना" के रूप में प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित सुविधाओं के संबंध में मौजूदा अनुमति पत्र में संशोधन के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) एसईजेड का नाम बदलकर मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड जो झर्सूगुडा, उड़ीसा में एल्युमिनियम के निर्माण एवं निर्यात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, से अनुरोध

25 जुलाई 2013 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए मैसर्स सेसा गोवा लिमिटेड में मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड के एल्युमिनियम के व्यवसाय के विलय के फलस्वरूप मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड (एसईजेड विकासक एवं यूनिट दोनों) का भी इसकी ग्रुप कंपनी मैसर्स सेवा गोवा लिमिटेड के साथ विलय हो गया है। इसके बाद 18 सितंबर 2013 को कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण पत्र के माध्यम से मैसर्स सेसा गोवा लिमिटेड का नाम बदलकर मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड हो गया है।

पहले यूनिट और विकासक वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड के रूप में अपना नाम बरकरार रखना चाहते थे। 8 नवंबर 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 60वीं बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया जिसमें विकासक एवं यूनिट की अपनी दोनों संस्थाओं के लिए वेदांता एल्युमिनियम एसईजेड के रूप में एसईजेड का नाम बरकरार रखने के मुद्दे पर विधायी कार्य विभाग की राय प्राप्त करने के लिए मामले को उनके पास भेजा गया।

इसके बाद वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड के नाम में लेनदेन करना उनके लिए कठिन हो गया क्योंकि यह नाम अब मौजूद नहीं है। कस्टम प्राधिकारियों से पोर्ट से माल क्लियर कराने में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि कंपनी का आईईसी सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड के पक्ष में संशोधित किया जा चुका है।

तद्नुसार उन्होंने 18 सितंबर 2013 से विकासक का नाम वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड एसईजेड से बदलकर सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड एसईजेड करने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vii) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स यूनीटेक हाइटेक स्ट्रक्चर्स डवलपर्स लिमिटेड जो राजरहाट, उत्तर 24 परगना जिला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 09 अगस्त, 2007 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 19.58 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 28 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब यह एसईजेड क्रियाशील हो गया है।

विकासक ने शेयर होल्डिंग के अपने पैटर्न में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है (अनुबंध 1)।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने विधायी स्कंध की राय लेने का भी अनुरोध किया है क्योंकि उनके पास विशेषज्ञता नहीं है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) पावर प्लांट की प्रकृति कैप्टिव से बदलकर ग्रुप कैप्टिव करने के लिए मैसर्स ओपीजीएस पावर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड जो भद्रेश्वर, मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए मैसर्स ओपीजीएस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स ओपीजीएस पावर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड को 3 अप्रैल 2014 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विद्युत के उत्पादन के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था। एसईजेड में विद्युत की आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से पावर प्लांट की विद्युत उत्पादन की क्षमता 2x150 मेगावाट होगी।

सह विकासक ने अपने पावर प्लांट की प्रकृति कैप्टिव से बदलकर ग्रुप कैप्टिव करने के लिए आवेदन किया है। सह विकासक ने बताया है कि जब एसईजेड यूनिटें एसईजेड में अपना उत्पादन शुरू करेंगी तो वे उत्पादन प्रक्रिया के लिए उनके पावर प्लांट से पैदा की गई बिजली का उपभोग करने में समर्थ होंगी। इस बीच पूरे भारत से अनेक एसईजेड विकासकों / यूनिटों तथा ईओयू ने ग्रुप कैप्टिव माडल के तहत अपने आगामी प्लांट से विश्वसनीय एवं अबाध विद्युत की आपूर्ति के लिए उनसे संपर्क किया है।

सह विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में पावर प्लांट स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया है तथा 1x150 मेगावाट के पावर प्लांट का पहला चरण अगस्त 2014 तक ट्रायल प्रोडक्शन शुरू करेगा और 1x150 मेगावाट के पावर प्लांट का उनका दूसरा चरण जनवरी 2015 तक ट्रायल प्रोडक्शन शुरू करेगा जो अप्रैल 2015 तक अंतिम उत्पादन में चला जाएगा।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने बताया है कि यह प्रस्ताव वाणिज्य विभाग द्वारा 21 मार्च 2012 को जारी किए गए "एसईजेड में विद्युत उत्पादन के लिए दिशानिर्देश" की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं करता है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ix) सैंडल वुड के मशीन फिनिश्ड उत्पादों तथा सैंडल वुड के फिनिश्ड हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के उत्पादन के लिए मैसर्स एमएमजी इंपेक्स जो एमईपीजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

प्रोसेस्ड ह्यूमन हेयर के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए उपर्युक्त यूनिट को 6 जून, 2012 को एलओपी प्रदान किया गया था।

यूनिट ने अपने एलओपी में निम्नलिखित मदों के विनिर्माण को शामिल करने के लिए आवेदन किया है :

(i) **सैंडलवुड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट**
(ii) **सैंडलवुड मशीन मेड प्रोडक्ट**
(iii) **सैंडलवुड चिप्स (प्रति नग 50 ग्राम तक)**
(iv) **सैंडलवुड पाउडर / डस्ट**
(v) **सैंडलवुड फ्लेक / स्क्रैप / वेस्ट**

8 **नवंबर** 2013 **को आयोजित** 60**वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उपर्युक्त अनुरोध रखा गया था जिसमें प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की थी।**

इसके बाद यूनिट ने अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए 30 **दिसंबर** 2013 **को विकास आयुक्त, एमईपीजेड तथा वाणिज्य विभाग से संपर्क किया। तद्नुसार इस मामले में अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए** 17 **जनवरी** 2014 **को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पत्र भेजा गया। पत्र दिनांक** 26 **अगस्त** 2014 **के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अधीन सैंडल वुड के मशीन फिनिश्ड उत्पादों तथा सैंडल वुड के फिनिश्ड हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के संबंध में निर्यात यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव पर अपना एनओसी प्रस्तुत किया।**

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(x) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स यूनिटेक डवलपर्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो डूंडाहेड़ा, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 19 **जून,** 2007 **को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एसईजेड** 11.2021 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 03 **दिसंबर,** 2007 **को अधिसूचित किया गया था। अब यह एसईजेड क्रियाशील हो गया है।**

मैसर्स यूनिटेक डवलपर्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 21 **जनवरी** 2008 **को उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में मंजूरी प्रदान की गई।**

सह विकासक ने शेयर होल्डिंग के अपने पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए प्रस्ताव (अनुबंध 2) प्रस्तुत किया है :

14 **मई** 2014 **की स्थिति के अनुसार शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न**

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (लगभग)
1.	यूनिटेक बिल्डर्स लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड	10	0.01
2.	यूनिटेक बिजनेस पार्क्स लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड	10	0.01

3.	**यूनिटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड**	10	0.01
4.	**न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड**	10	0.01
5.	**रुही कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड**	10	0.01
6.	**सुपर्नल कोरुगेशन इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड**	10	0.01
7.	**आईडीएफसी लिमिटेड**	30429	39.94
8.	**ग्लैडियोलिस रियल्टी इंक मारीशस (यूनीटेक कॉर्पोरेट पार्क्स पीएलसी की परोक्ष रूप से पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)**	45733	60.00
	कुल	**76222**	**100.00**

*** यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा आईडीएफसी लिमिटेड के पक्ष में इन शेयरों को बंधक रखने का निर्णय लिया गया है तथा उक्त शपथ** 14 **मई** 2014 **को आईडीएफसी लिमिटेड द्वारा इनवोक किया गया।**

शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न

क्र. सं.	**शेयर धारक का नाम**	**शेयरों की संख्या**	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (लगभग)**
1.	**ग्लैडियोलिस रियल्टी इंक मारीशस (ब्रुकफिल्ड की परोक्ष रूप से पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)**	45733	60
2.	**बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर जो ब्रुकफिल्ड प्रापर्टी ग्रुप, न्यूयार्क की सहयोगी कंपनी है**	30489	40
	कुल	76222	100

यूनिटेक कॉर्पोरेशन पार्क्स पीएलसी (यूसीपी) और बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार दिनांक 10 **जून** 2014 **के अनुसार आधार मूल्य** 205,000,000 **पाउंड है, जबकि आईडीएफसी लिमिटेड तथा बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार दिनांक** 10 **जून** 2014 **के अनुसार आधार मूल्य** 10,91,23,00,000 **रुपए है। इन करारों में यह प्रावधान है कि बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड चरणबद्ध ढंग से अक्टूबर** 2015 **तक** 100 **प्रतिशत शेयर होल्डिंग्स का अधिग्रहण करेगा।**

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xi) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स यूनीटेक इनफ्राकॉन लिमिटेड जो प्लाट नंबर टीजेड-04, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 23 मई, 2007 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 08 मई, 2014 को समाप्त हो गई है। 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 15 जनवरी, 2008 को अधिसूचित किया गया था। एसईजेड अभी तक क्रियाशील नहीं हुआ है।

विकासक अर्थात मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर होल्डिंग के अपने पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए प्रस्ताव (अनुबंध 3) प्रस्तुत किया है :

14 मई 2014 की स्थिति के अनुसार शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (लगभग)
1.	यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड	25271	39.94
2.	यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से यूनिटेक बिल्डर्स लिमिटेड	10	0.01
3.	यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से यूनिटेक बिजनेस पार्क्स लिमिटेड	10	0.01
4.	यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से यूनिटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10	0.01
5.	यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से सुपर्नल कोरुगेशन इंडिया लिमिटेड	10	0.01
6.	यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से रुही कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	10	0.01
7.	यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	10	0.01
8.	स्पैरो प्रापर्टीज लिमिटेड, मारीशस (यूनीटेक कॉर्पोरेट पार्क पीएलसी की परोक्ष रूप से पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	37980	60.00
	कुल	63311	100.00

(10 रुपए प्रत्येक के 21100 इक्विटी शेयर वापस खरीदे गए तथा परिणामत: प्रदत्त पूंजी के शेयरों की संख्या 23 मई 2007 को 84411 से घटकर 14 फरवरी 2013 को 63311 हो गई)

शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (लगभग)
1.	यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड	25271	39.94
2.	यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से यूनिटेक बिल्डर्स लिमिटेड	10	0.01
3.	यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से यूनिटेक बिजनेस पार्क्स लिमिटेड	10	0.01
4.	यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से यूनिटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10	0.01
5.	यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से सुपर्नल कोरुगेशन इंडिया लिमिटेड	10	0.01
6.	यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से रुही कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	10	0.01
7.	यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी	10	0.01

	लिमिटेड		
8.	**स्पैरो प्रापर्टीज लिमिटेड, मारीशस (बीआरआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर जो ब्रुकफिल्ड प्रापर्टी ग्रुप, न्यूयार्क की सहयोगी कंपनी है, की परोक्ष रूप से पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)**	37980	60.00
	कुल	**63311**	**100.00**

यूनिटेक कॉर्पोरेशन पार्क्स पीएलसी (यूसीपी) तथा बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार दिनांक 10 **जून** 2014 **के अनुसार आधार मूल्य** 205,000,000 **पाउंड है। इस करार में यह प्रावधान है कि बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड चरणबद्ध ढंग से अक्टूबर** 2015 **तक मैसर्स स्पैरो प्रापर्टीज लिमिटेड द्वारा धारित किए जा रहे 60 प्रतिशत शेयर होल्डिंग्स का अधिग्रहण करेगा।**

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xii) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स यूनिटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो टिकरी गांव, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 30 **जुलाई,** 2007 **को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एसईजेड** 10.041 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 09 **जनवरी,** 2008 **को अधिसूचित किया गया था। अब यह एसईजेड क्रियाशील हो गया है।**

विकासक ने शेयर होल्डिंग के अपने पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए प्रस्ताव (अनुबंध 4) **प्रस्तुत किया है:**

14 **मई** 2014 **की स्थिति के अनुसार शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न**

क्र. सं.	**शेयर धारक का नाम**	**शेयरों की संख्या**	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (लगभग)**
1.	**यूनिटेक बिल्डर्स लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड**	10	0.02
2.	**यूनिटेक बिजनेस पार्क्स लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड**	10	0.02
3.	**यूनिटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड**	10	0.02
4.	**न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड**	10	0.02
5.	**रुही कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड**	10	0.02
6.	**सुपर्नल कोरुगेशन इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड**	10	0.02
7.	**आईडीएफसी लिमिटेड**	23340	39.88
8.	**टुलिपा इनवेस्टमेंट्स इंक मारीशस (यूनीटेक कॉर्पोरेट पार्क्स पीएलसी की परोक्ष**	35102	60.00

	रूप से पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)		
	कुल	**58502**	**100.00**

* यूनिटेक होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा आईडीएफसी लिमिटेड के पक्ष में इन शेयरों को बंधक रखने का निर्णय लिया गया है तथा उक्त शपथ 14 मई 2014 को आईडीएफसी लिमिटेड द्वारा इनवोक किया गया।

शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (लगभग)
1.	टुलिपा इनवेस्टमेंट्स इंक मारीशस (ब्रुकफिल्ड की परोक्ष रूप से पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	35102	60
2.	बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर जो ब्रुकफिल्ड प्रापर्टी ग्रुप, न्यूयार्क की सहयोगी कंपनी है	23400	40
	कुल	58502	100

यूनिटेक कॉर्पोरेशन पार्क्स पीएलसी (यूसीपी) और बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार दिनांक 10 जून 2014 के अनुसार आधार मूल्य 205,000,000 पाउंड है, जबकि आईडीएफसी लिमिटेड तथा बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार दिनांक 10 जून 2014 के अनुसार आधार मूल्य 10,91,23,00,000 रुपए है। इन करारों में यह प्रावधान है कि बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड चरणबद्ध ढंग से अक्टूबर 2015 तक 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग्स का अधिग्रहण करेगा।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xiii) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स सीव्यू डवलपर्स लिमिटेड जो प्लाट नंबर 20 और 21, सेक्टर 135, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 21 जून, 2006 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब यह एसईजेड क्रियाशील हो गया है।

विकासक ने शेयर होल्डिंग के अपने पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए प्रस्ताव (अनुबंध 5) प्रस्तुत किया है:

14 मई 2014 की स्थिति के अनुसार शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (लगभग)
1.	आदित्य प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से यूनिटेक बिल्डर्स लिमिटेड	10	0.01

2.	आदित्य प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से यूनिटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10	0.01
3.	आदित्य प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से यूनिटेक बिजनेस पार्क्स लिमिटेड	10	0.01
4.	आदित्य प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सुपर्नल कोरुगेशन इंडिया लिमिटेड	10	0.01
5.	आदित्य प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रुही कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	10	0.01
6.	आदित्य प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	10	0.01
7.	आईडीएफसी लिमिटेड	27339	39.94
8.	डोटेरेल एस्टेट लिमिटेड, मारीशस (यूनीटेक कॉर्पोरेट पार्क्स पीएलसी की परोक्ष रूप से पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	41090	60.00
	कुल	**68489**	**100**

* 29 जून 2012 को आदित्य प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईडीएफसी लिमिटेड के पक्ष में इन शेयरों को बंधक रखने का निर्णय लिया गया है तथा उक्त शपथ 14 मई 2014 को आईडीएफसी लिमिटेड द्वारा इनवोक किया गया।

शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (लगभग)
1.	डोटेरेल एस्टेट लिमिटेड, मारीशस (ब्रुकफिल्ड की परोक्ष रूप से पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	41090	60
2.	बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर जो ब्रुकफिल्ड प्रापर्टी ग्रुप, न्यूयार्क की सहयोगी कंपनी है	27399	40
	कुल	68489	100

यूनिटेक कॉर्पोरेशन पार्क्स पीएलसी (यूसीपी) और बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार दिनांक 10 जून 2014 के अनुसार आधार मूल्य 205,000,000 पाउंड है, जबकि आईडीएफसी लिमिटेड तथा बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार दिनांक 10 जून 2014 के अनुसार आधार मूल्य 10,91,23,00,000 रुपए है। इन करारों में यह प्रावधान है कि बीएसआरईपी इंडिया आफिस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड चरणबद्ध ढंग से अक्टूबर 2015 तक 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग्स का अधिग्रहण करेगा।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xiv) कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डिंग की बिक्री / अंतरण के लिए मैसर्स नियोप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एनटीपीएल) जो राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 1, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड को 27 मार्च, 2012 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (आईडीएफसी) को कंपनी के शेयरों की 100 प्रतिशत बिक्री के लिए विकासक के अनुरोध को 15 मार्च 2013 को आयोजित 57वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। तद्नुसार मैसर्स एनटीपीएल के सभी शेयर इस समय आईडीएफसी द्वारा धारित किए जा रहे हैं।

अप्रैल 2014 में आरबीआई ने आईडीएफसी को बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। आरबीआई द्वारा प्रदान किया गया सैद्धांतिक अनुमोदन 18 माह के लिए मान्य है जिसके दौरान आईडीएफसी लिमिटेड को दिशानिर्देशों तथा आरबीआई द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों का पालन करना होगा जो इस प्रकार हैं : "इसका उद्देश्य यह है कि नियंत्रक कंपनी को ग्रुप की अन्य गतिविधियों अर्थात वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं वित्तीय गतिविधियों जो वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा विनियमित नहीं हैं, से बैंक सहित ग्रुप की विनियमित वित्तीय सेवा संस्थाओं की घेराबंदी करनी चाहिए और यह भी कि बैंक की ग्रुप की अन्य विनियमित वित्तीय गतिवधियों से घेराबंदी की जानी चाहिए।"

तद्नुसार आईडीएफसी लिमिटेड ने एनटीपीएल में अपनी संपूर्ण इक्विटी शेयर होल्डिंग का विनिवेश करने तथा ब्लैक स्टोन की सहयोगी कंपनियों को अपनी 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग की बिक्री / अंतरण करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए आईडीएफसी लिमिटेड, एनटीपीएल, ब्लैक स्टोन ने एनटीपीएल के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरों की बिक्री / अंतरण के लिए शेयर क्रय करार (एसपीए) दिनांक 11 अगस्त 2014 किया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है (अनुबंध 6)।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xv) मैसर्स आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को स्वामित्व का हस्तांतरण करने तथा सह विकासक का नाम बदलकर मैसर्स आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स केनेक्सा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो मधुरवाड़ा गांव, हिल नंबर 3, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एपीआईआईसी द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

10.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए मैसर्स केनेक्सा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को 29 मई 2008 को उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया। सह विकासक ने मैसर्स केनेक्सा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से मैसर्स आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को स्वामित्व के अंतरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वर्तमान मामले में सह विकासक और यूनिट एक ही हैं और तद्नुसार उन्होंने सह विकासक एवं यूनिक दोनों के लिए स्वामित्व के अंतरण के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xvi) 31 अगस्त 2014 से 5 साल के अगले ब्लाक के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पूजा स्क्रैप इंडस्ट्री (पार्टनरशिप) जो वीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स पूजा स्क्रैप इंडस्ट्रीज (पार्टनरशिप) जो वीएसईजेड की यूनिट है, को आयातित स्क्रैप (फेरस और नॉन फेरस) की रिसाइकलिंग के लिए 15 दिसंबर 1997 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने 31 अगस्त, 1999 को उत्पादन शुरू किया। यूनिट ईईएफसी खाते से विदेशी मुद्रा में भुगतान के विरुद्ध डीटीए में 31 अगस्त 2009 से 31 जुलाई 2014 की अवधि के दौरान 472.68 लाख रुपए मूल्य के माल की बिक्री कर रही है।

पहले यूनिट को अनुमोदन बोर्ड द्वारा 15 दिसंबर 2009 को आयोजित अपनी 37वीं बैठक में 31 अगस्त 2009 से 30 अगस्त 2014 तक 5 साल के ब्लाक के लिए एलओपी का विस्तार प्रदान किया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी सिफारिश की थी कि यूनिट चरणबद्ध ढंग से भौतिक निर्यात शुरू करे। तद्नुसार विकास आयुक्त द्वारा इस शर्त के साथ एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई गई कि जब तक यूनिट 2013-14 तक कुल वार्षिक उत्पादन मूल्य के कम से कम 50 प्रतिशत के वार्षिक भौतिक निर्यात का लक्ष्य प्राप्त नहीं करेगी, एलओपी के अगले नवीकरण पर विचार नहीं किया जा सकता है।

इस अवधि के दौरान यूनिट का एनएफई 668.63 लाख रुपए ऋणात्मक है जिसके लिए 14 अगस्त 2014 को यूनिट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। न्याय निर्णयन प्रक्रिया के अधीन है।

यूनिट ने अब तक 22 लाख रुपए का निवेश किया है तथा 19 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है। यूनिट द्वारा संचालित गतिविधि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 (4) (घ) के तहत शामिल है जिसके लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ यूनिट का अनुरोध प्रस्तुत किया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xvii) आईटीईएस का कार्य करने के लिए मैसर्स एरिसेंट टेक्नोलॉजीज (होल्डिंग्स) लिमिटेड जो मैसर्स यूनिटेक रियल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड, गुड़गांव की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स एरिसेंट टेक्नोलॉजीज (होल्डिंग्स) लिमिटेड (यूनिट) ने कंप्यूटर साफ्टवेयर सेवा, अंतर्वस्तु विकास एवं अनुसंधान तथा विकास सेवा सहित आईटी / आईटी इनेबल सेवाएं प्रदान करने के लिए 43061.50 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में यूनिट स्थापित करने के लिए 9 अप्रैल 2014 को विकास आयुक्त, एनएसईजेड के पास आवेदन किया। यूनिट ने 332.80 करोड़ रुपए का निवेश, 3900 व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता तथा अगले 5 साल की अवधि में लगभग 3765 करोड़ रुपए की निर्यात आय होने का अनुमान प्रदर्शित किया है।

यूनिट द्वारा यह प्रस्ताव करते हुए आवेदन दाखिल किया गया कि यूनिट वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 70 के अनुसार साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना (एसटीपीएस) के तहत अपनी कुछ अभिचिह्नित स्थापित ईओयू का सुदृढ़ीकरण करेगी। यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रस्ताव पर तीन अलग अलग अवसरों पर विचार किया गया। 21 अप्रैल 2014 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया तथा कंपनी से अपनी मौजूदा एसटीपीआई यूनिटों के संबंध में आयकर विभाग, सेवा कर विभाग, सीमा शुल्क विभाग, बिक्री कर विभाग तथा अन्य विभागों के साथ विवादों के स्टेटस के साथ अतिरिक्त सूचना प्रदान करने के लिए कहा गया। पत्र दिनांक 2 जून 2014 और 5 जून 2014 के माध्यम से यूनिट द्वारा ब्यौरे प्रदान किए गए। 12 जून 2014 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में प्रस्ताव पर पुन: विचार किया गया जिसमें प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया तथा यूनिट से नए निवेश एवं रोजगार का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया जो 4 जुलाई 2014 को उपलब्ध कराया गया। इसके बाद 12 अगस्त 2014 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया जिसमें आवेदक को सूचित किया गया कि निदेश के लिए आवेदन अनुमोदन बोर्ड के पास भेजा रहा है।

यूनिट ने आईटी / आईटीईएस के लिए 43,061.50 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में एसईजेड यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु विकास आयुक्त को उपयुक्त निदेश जारी करने तथा मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड से संपर्क किया है। उन्होंने इस मामले में निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए भी अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है (अनुबंध 7) कि मैसर्स दुर्गा साफ्टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर 418-419, फेज 4, उद्योग विभाग, गुड़गांव में मैसर्स एरिसेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड की एसटीपीआई यूनिट का पट्टाकर्ता है, ने कानूनी नोटिस दिनांक 21 अगस्त 2014 भेजा है जिसमें कहा गया है कि मैसर्स दुर्गा साफ्टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड से एनओसी लिए बगैर या कानूनी नोटिस की अन्य शर्तों का पालन किए बगैर एसईजेड को शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने यह भी सूचित किया है कि 25 अगस्त 2014 को यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा मामले पर विस्तार से चर्चा की गई जिसमें विचार करने के लिए मामले को अनुमोदन बोर्ड के पास भेजने का निर्णय लिया गया क्योंकि सदस्यों में मतैक्य नहीं हो सका। तद्नुसार, विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

तद्नुसार यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 63.7 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

एसईजेड नियमावली के नियम 6(2) (क) के अनुसार, औपचारिक अनुमोदन तीन साल की अवधि के लिए वैध होता है तथा इस समय तक कम से कम 1 यूनिट द्वारा उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए तथा ऐसे उत्पादन के आरंभ होने की तिथि से एसईजेड क्रियाशील हो जाना चाहिए। इस नियम के परंतुक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रावधान है जिसके लिए विकासक संबंधित विकास आयुक्त को फार्म सी1 में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा जो 15 दिन के अंदर इसे अपनी टिप्पणियों के साथ अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करेगा।

निम्नलिखित मामलों में वाणिज्य विभाग द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, चूंकि विकासक / सह विकासक द्वारा कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की गई है इसलिए विकास आयुक्त ने विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने का प्रस्ताव किया है। मामले का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	विकासक / सह विकासक का नाम	क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन की तारीख	क्षेत्र	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड (संबलपुर, ओडिशा)	एल्युमिनियम उत्पाद	30 जुलाई 2007	एफएसईजेड	विकासक को औपचारिक अनुमोदन 30 जुलाई 2007 को प्रदान किया गया था जो 29 जुलाई 2010 तक वैध था। विकासक को समय समय पर औपचारिक अनुमोदन का विस्तार प्रदान किया गया तथा प्रदान किया गया आखिरी विस्तार 31 दिसंबर 2013 को समाप्त हो गया है। विकासक ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने विकासक के साथ मामले को उठाया था तथा पिछला अनुस्मारक 13 अगस्त 2014 को भेजा गया था जिसमें 10 दिन का समय दिया गया था। चूंकि कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए विकास आयुक्त ने 115 हेक्टेयर के लिए औपचारिक

					अनुमोदन तथा 740 हेक्टेयर के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
2.	मैसर्स एस्सार जामनगर एसईजेड लिमिटेड (जामनगर, गुजरात)	बहु उत्पाद	21 अगस्त 2006	केएएसईजेड	21 अगस्त 2006 को औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। विकासक ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने विकासक के साथ मामले को उठाया था तथा पिछला अनुस्मारक 15 फरवरी 2013 को भेजा गया था। चूंकि कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
3.	मैसर्स एशिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ग्राम भीमसार, तालुक अंजार, जिला कच्छ, गुजरात)	पोलिमर आधारित	07 जनवरी 2008	केएएसईजेड	6 जनवरी 2011 को औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई। विकासक ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने विकासक के साथ मामले को उठाया था। चूंकि कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
4.	मैसर्स अडानी टाउनशिप एंड रियल एस्टेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (ग्राम डंटाली, एसजी हाइवे, अहमदाबाद, गुजरात)	आईटी / आईटीईएस	12 जून 2007	केएएसईजेड	11 जून 2010 को औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई। पत्र दिनांक 13 मार्च 2013 के माध्यम से विकासक ने सूचित किया है कि आईटी सेक्टर से मांग न होने के कारण वे एसईजेड परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तद्नुसार परियोजना को आगे बढ़ाने में उनकी कोई रुचि नहीं है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सिफारिश की है कि औपचारिक अनुमोदन वापस लिया जा सकता है।
5.	मैसर्स गौरीनंदन प्रापर्टी होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (ग्राम बादराबाद, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात)	आईटी / आईटीईएस	21 नवंबर 2008	केएएसईजेड	20 नवंबर 2011 को औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई। चूंकि परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए विकासक द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया इसलिए विकासक आयुक्त, केएएसईजेड ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।
6.	मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (झगडिया, भडूच,	सिरेमिक एवं ग्लास इंडस्ट्री	21 अगस्त 2006	केएएसईजेड	20 अगस्त 2009 को औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। पत्र दिनांक 31 जनवरी 2009 के माध्यम से विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रस्तावित एसईजेड को लागू न करने का

	गुजरात)				निर्णय लिया है। इसके बाद 25 सितंबर 2009 को विकास आयुक्त, केएएसईजेड तथा विकासक के बीच समीक्षा बैठक में विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को ड्रॉप करने का निर्णय लिया गया। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सिफारिश की है कि औपचारिक अनुमोदन वापस लिया जा सकता है।
7.	मैसर्स इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड - कांडला एसईजेड में सह विकासक	एफटीडब्ल्यूजेड	15 फरवरी 2007	केएएसईजेड	सह विकासक ने अब तक कोई विकास कार्य शुरू नहीं किया है। सह विकासक ने एसईजेड नियमावली के अनुसार कोई आवधिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की है। उन्होंने बांड सह विधिक वचन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। सह विकासक के ऊपर पट्टा किराया तथा प्रयोक्ता प्रभार भी बकाया है। विकास आयुक्त ने सह विकासक का दर्जा निरस्त करने की सिफारिश की है।
8.	मैसर्स चेन्नई बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (मधुरंथगम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु)	आईटी / आईटीईएस	19 जून 2007	एमईपीजेड	यह एसईजेड अधिसूचित हो गया है। 19 जून 2010 को औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई। चूंकि परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए विकासक द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया इसलिए विकासक आयुक्त, एमईपीजेड ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने / एसईजेड को विमुक्त करने की सिफारिश की है।
9.	मैसर्स विराज प्रोफाइल्स लिमिटेड (ग्राम अमगांव, तालुक वाडा, जिला थाणे, महाराष्ट्र)	स्टेनलेस स्टील इंजीनियरिंग के उत्पाद	21 अगस्त 2006	एसईईपीजेड	20 अगस्त 2009 को औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। चूंकि परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए विकासक द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया इसलिए विकासक आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त एसईजेड के औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने / वापस लेने / विमुक्त करने / सह विकासक का दर्जा निरस्त करने के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।

मद संख्या 63.8 : औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन

एसईजेड के लिए रक्षा से संबंधित मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का विषय पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा देखा जा रहा था। तथापि, अब यह विषय वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। वाणिज्य विभाग में मामले की जांच की गई तथा ऐसे सभी प्रस्तावों / अनुरोधों को विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

(i) रक्षा उपकरणों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड, चेन्नई का आवेदन

विचाराधीन मामला एसईजेड में रक्षा उपकरणों के विनिर्माण अर्थात अग्जिलरी वेजल, हाई स्पीड बोट एवं क्राफ्ट, बार्ज आदि सहित युद्ध पोतों, पनडुब्बियों, वीपन प्लेफार्म (आफशोर, फ्लोटिंग एवं सबमर्ज्ड) की डिजाइन एवं निर्माण,रक्षा पोतों एवं पनडुब्बियों के परिवर्तन, कनवर्जन, रिफिट, रिपेयर, शिप एवं बोट के पार्ट्स तथा असेसरी निर्माण के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड, चेन्नई को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के बारे में है। मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड एसईजेड यूनिट है जिसे मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड, चेन्नई द्वारा विकसित किया जा रहा है।

एसईजेड तथा ईओयू के लिए रक्षा से संबंधित मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का विषय पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा देखा जा रहा था। तथापि, अब यह विषय वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा सभी लंबित मामले औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए वाणिज्य विभाग को भेजे गए हैं।

वर्तमान मामले में विभिन्न विभागों से टिप्पणियां मंगाई गई। निम्नलिखित विभागों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं

(1) **रक्षा उत्पादन विभाग**
(2) **गृह मंत्रालय (एमएचए)**
(3) **नागर विमानन विभाग**
(4) **तमिलनाडु राज्य सरकार**

गृह मंत्रालय तथा रक्षा उत्पादन विभाग की टिप्पणियां संलग्न हैं (अनुबंध 8)।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने यूनिट को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने का प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड जो कट्टूपल्ली, तमिलनाडु में मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध जिसमें भारतीय तटरक्षक को इंटरसेप्टर बोट की डिलीवरी के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है

मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड उपर्युक्त एसईजेड की यूनिट है। यूनिट ने सूचित किया है कि भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) जो उनके ग्राहकों में से एक है, को डिलीवरी के लिए दो इंटरसेप्टर बोर्ड (आईबी) पूर्णत: तैयार हैं। आईसीजी ने राष्ट्रीय सुरक्षा ड्यूटी के लिए इन नौकाओं को तैनात करने के लिए अपनी आवश्यकता व्यक्त की है। यूनिट ने आईसीजी को इन नौकाओं की डिलीवरी करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

अनुमोदन बोर्ड ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) प्रदान किए जाने के अधीन पत्र दिनांक 29 सितंबर 2011 के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन विभिन्न प्रकार के सामरिक वेजल के निर्माण के लिए उनको अनुमति प्रदान की थी :

(i) **डीटीए को आपूर्ति के प्रत्येक कंसाइनमेंट की विकास आयुक्त द्वारा बारीकी से जांच की जानी चाहिए।**
(ii) **घरेलू क्षेत्र में बिक्री करते समय केवल सरकारी एजेंसियों को उपकरण के प्रापण की अनुमति होगी।**

(iii) **सभी कंसाइनमेंट के साथ सरकारी प्रापण एजेंसी के किसी अधिकृत व्यक्ति को भेजा जाएगा**

औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए डीआईपीपी को प्रस्तुत किया गया उनका आवेदन अब वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके बाद यूनिट ने 21 **जून** 2013 **को विभिन्न मदों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन किया, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :**

(i) **अग्जिलरी वेजल, हाई स्पीड बोट एवं क्राफ्ट, बार्ज आदि सहित युद्ध पोतों, पनडुब्बियों, वीपन प्लेफार्म (आफशोर, फ्लोटिंग एवं सबमर्ज्ड) की डिजाइन एवं निर्माण**
(ii) **रक्षा पोतों एवं पनडुब्बियों का कनवर्जन, परिवर्तन, रिफिट, रिपेयर**
(iii) **पोतों एवं नौकाओं लिए पार्ट्स एवं असेसरीज का विनिर्माण**

विकास आयुक्त ने तमिलनाडु राज्य सरकार सहित सभी संबंधित विभागों से टिप्पणियां मंगाई थी। अब सभी विभागों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं तथा यूनिट को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के प्रस्ताव को वर्तमान बीओए में अलग एजेंडा मद के रूप में शामिल किया गया है।

विकास आयुक्त ने यूनिट को औद्योगिक लाइसेंस जारी होने का मुद्दा लंबित होने के कारण आईसीजी को यूनिट द्वारा दो आईबी की आपूर्ति के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने बताया है कि औद्योगिक लाइसेंस के लंबित होने के कारण जोन द्वारा यूनिट को तीन आईबी की आपूर्ति के लिए पहले अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

इंटरसेप्टर बोट की आपूर्ति के लिए अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 63.9 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के आधार पर आदेश दिनांक 19 जून 2014 के विरुद्ध मैसर्स स्टेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

विभिन्न मदों अर्थात पोलिस्टर एवं पोलीथीन बैग, कूरियर बैग, प्रिंटेड / प्लेन जिपर बैग, अल्ट्रा क्लियर एलडी श्रिंक बैग / सब्जियों एवं फलों के लिए रोल एंटी फॉग बैग, मॉस्चर फिल्म सीलिंग आदि के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए एनएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स स्टेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, को 9 **दिसंबर** 2013 **को एलओपी प्रदान किया गया था। अनुमोदन इस शर्त के अधीन था कि यूनिट विनिर्मित उत्पादों के भौतिक निर्यात के माध्यम से निर्यात के लिए प्रदर्शित लक्ष्यों को पूरा करेगी। इसके बाद यूनिट द्वारा अभिवेदन पर शर्त में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया :**

"यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि यूनिट को भौतिक निर्यात के अलावा एसईजेड नियमावली के नियम 53 **क (एम) के अनुसरण में एसईजेड एवं ईओयू को अपने उत्पादों की बिक्री करने की अनुमति होगी।"**

यूनिट ने निर्णय के विरुद्ध पुन: अभिवेदन प्रस्तुत किया। तथापि, पत्र दिनांक 19 **जून** 2014 **के माध्यम से विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-**9) **दाखिल की है।**

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 3 जुलाई 2014 के विरुद्ध मैसर्स सिल्वरशाइन कॉर्पोरेशन जो दाहेज एसईजेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स सिल्वरशाइन कॉर्पोरेशन जो दाहेज एसईजेड की यूनिट है, ने कागज के डिस्पोजेबल उत्पादों तथा एल्युमिनियम ग्रेन्यूल के विनिर्माण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया था। कागज के डिस्पोजेबल उत्पादों के लिए यूनिट को एलओपी दिनांक 16 **जुलाई** 2014 **प्रदान किया गया परंतु यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा 3 जुलाई** 2014 **को उनके दूसरे उत्पाद अर्थात एल्युमिनियम ग्रेन्यूल को अस्वीकार कर दिया गया।**

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-10) **दाखिल की है।**

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

****